प्रेस विज्ञप्ति
16.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण मुआवजे में धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **23.35 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध विभाग/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इसके बाद, उक्त एफआईआर में हरमीत सिंह खानुजा और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट), रायपुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया।

जांच से पता चला कि रायपुर-विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में धोखाधड़ी से अधिक और अयोग्य मुआवजा प्राप्त करने के लिए भूमि दलालों, निजी व्यक्तियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.01.2020 को जारी अधिसूचना के बाद राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी और पिछली तिथि डालकर भूमि पार्सल का धोखाधड़ी से उपविभाजन किया गया, जिससे अधिग्रहित भूमि के लिए देय मुआवजे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि हरमीत सिंह खानुजा ने खेमराज कोशले, पुनुरम देशलाहारे और कुंदन बघेल सहित अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भूस्वामियों को हलफनामे, आवेदन पत्र और राजस्व कागजात जैसे विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया और कुछ सरकारी अधिकारियों की सहायता से भूमि अभिलेखों का फर्जी विभाजन करवाया। इस प्रकार के हेरफेर किए गए अभिलेखों के आधार पर, वैध हक से कहीं अधिक मुआवजे की राशि वितरित की गई।

आगे की जांच में पता चला कि भूस्वामियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले गए थे और इन खातों में मुआवजे की राशि जमा की गई थी। इसके बाद, भूस्वामियों से प्राप्त पूर्व-हस्ताक्षरित खाली चेक और बैंकिंग दस्तावेजों का उपयोग करके, मुआवजे की राशि का एक बड़ा हिस्सा हरमीत सिंह खानुजा, उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि भूस्वामियों को केवल पात्र मुआवजा या उससे थोड़ी अधिक राशि ही मिली।

ईडी की जांच में पता चला है कि हरमीत सिंह खानुजा और उसके साथियों ने 27.05 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी, जिसमें से 23.35 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय बरामद कर ली गई है और पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत इसे अस्थायी रूप से जब्त किया जा रहा है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।